न्यायालय समाहर्त्ता एवं जिला दण्डाधिकारी, पटना।

आंगनबाड़ी अपील वाद सं0–30 / 2015–16

मंजु कुमारी बनाम राज्य एवं किरण कुमारी

आदेश की क्रम संख्या एवं तारीख	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की गई कार्रवाई के बारे में टिप्पणी, तारीख सहित
1	2	3
21-10-19	**आदेश** प्रस्तुत अपील वाद मंजु कुमारी, पति कमलेश प्रसाद ग्राम पांडे बीघा पो0– पंडितगंज थाना कादीरगंज धनरूआ पटना द्वारा जिला प्रोग्राम पदाधिकारी, पटना के यहां संचालित आंगनबाड़ी वाद सं0 10 / 13 मंजु कुमारी बनाम राज्य में दिनांक–12.11.2014 को पारित आदेश के विरूद्ध दायर किया गया है। अभिलेख का अवलोकन किया। दिनांक–21.10.2019 को उभय पक्षों के विद्वान अधिवक्ता को सुना। अपीलकर्ता का कथन है कि जिला प्रोग्राम पदाधिकारी, पटना के द्वारा आंगनबाड़ी वाद सं0 10 / 13 में पारित आदेश दिनांक–12.11.2014 विधि सम्मत् नहीं है। बाल विकास परियोजना पदाधिकारी, धनरूआ के द्वारा आंगनबाड़ी केन्द्र पांडे बीघा केन्द्र सं0 221 ग्राम पंचायत देनो प्रखण्ड–धनरूआ के लिए चयन प्रक्रिया के दौरान गलती की गई। मेघा सूची में अपीलकर्ता 60.88% प्रतिशत के साथ प्रथम स्थान एवं विपक्षी किरण कुमारी को 60.77% अंक के साथ द्वितीय स्थान पर है। परन्तु विपक्षी किरण कुमारी के द्वारा 25% विकलांगता का प्रमाण–पत्र प्रस्तुत किया गया जिसके आधार पर उन्हें 5 बोनस अंक प्राप्त हुआ। विकलांगता प्रमाण–पत्र प्रभारी चिकित्सा पदाधिकारी, प्राथमिकी स्वास्थ्य केन्द्र, धनरूआ के द्वारा निर्गत है। यह विकलांगता प्रमाण पत्र सक्षम प्राधिकार के द्वारा निर्गत भी नहीं है। इसलिए विपक्षी को विकलांगता के लिए 5 अंक बोनस देना विधि–सम्मत नहीं है तथा जिला प्रोग्राम पदाधिकारी, पटना का उक्त आदेश विधिसम्मत् नहीं है। विपक्षी किरण कुमारी, पति अखिलेश प्रसाद ग्राम–पांडे बीघा पो0–पंडितगंज धनरूआ का कहना है कि दिनांक–21.04.2012 को प्रकाशित मेघा सूची में अपीलार्थी मंजु कुमारी को 60.88% अंक के साथ प्रथम स्थान	

एवं विपक्षी किरण कुमारी को 60.77% अंक के साथ द्वितीय स्थान प्राप्त है। परन्तु, मेधा सूची में आपत्ति मांगने के क्रम में उनके द्वारा (किरण कुमारी) के द्वारा सक्षम प्राधिकार का विकलांगता प्रमाण–पत्र दाखिल किया गया। इसके बाद उन्हें 5 अंक बोनस दिया गया जिसे मेधा सूची में शामिल किया गया तथा दिनांक–08.06.2012 को मेधा सूची प्रकाशित की गयी। इस प्रकार प्रकाशित मेधा सूची में विपक्षी (किरण कुमारी) प्रथम स्थान पर आ गई जिसके आधार पर विपक्षी किरण कुमारी का चयन आमसभा में किया गया।

अभिलेख का परिशीलन के बाद यह स्पष्ट है कि चयनित सेविका किरण कुमारी के संबंध में विकलांगता प्रमाण–पत्र प्रभारी चिकित्सा पदाधिकारी, प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, धनरूआ के द्वारा दिनांक–10.03.2012 को deafness का 25% विकलांगता का प्रमाण–पत्र दिया गया है जिसे सिविल सर्जन, पटना की अध्यक्षता में गठित मेडिकल बोर्ड के द्वारा भी 06.07.2018 को संपुष्ट किया गया है। इस प्रकार विकलांगता के आधार पर मिले पांच बोनस अंक के बाद विपक्षी किरण कुमारी का चयन सेविका पद के लिए मेधा सूची के आधार पर किया गया है। अतः जिला प्रोग्राम पदाधिकारी, पटना के द्वारा पारित आदेश में कोई त्रुटि नहीं है।

इसी के साथ अपीलार्थी के अपील आवेदन को खारिज करते हुए वाद की कार्यवाही समप्ति की जाती है।

लेखापित एवं संशोधित।

21/10/19

समाहर्त्ता एवं जिला दण्डाधिकारी,
पटना।

21/10/19

समाहर्त्ता एवं जिला दण्डाधिकारी,
पटना।